AVADH LAW COLLEGE

UMA SHANKAR

LL.B.3 YEAR 3SEM

(UNIT-2)

दंड प्रक्रिया संहिता

अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने के लिए दिवस करने वाली आदेशिकायें

किसी भी स्वस्थ विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी कार्यवाहियाँ अभियुक्त की उपस्थिति में हों। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूरा अवसर प्रदान करना ही अपराधिक न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। मामले के विचारण के समय यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति समन या वारंट के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। न्यायालय में हाजिर होने के लिए विवश करने वाली **आदेशिकायें** हैं- समन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की। यह वह न्यायालय के आदेश हैं जिसके माध्यम से अभियुक्त का विचारण में न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित किया जाता है इन आदेशों के माध्यम से न्यायालय अभियुक्त को विचारण में उपस्थित कर सकता है।

समन

समन - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से 69 तक समन के विषय में विस्तार से बताया गया है जिसके माध्यम से अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। समन न्यायालय द्वारा जारी एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 के अनुसार, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक संबंध लिखित रूप में दो प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियमों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करें, हस्ताक्षरित होगा और उच्च न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। समन की निम्न आवश्यक बातें निम्न है-

1. यह लिखित होना चाहिए।
2. यह दो प्रतियों में होना चाहिए।

3. यह पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

4. समन पर न्यायालय की मुद्रा अंकित की जानी चाहिए।

5. समन में उपस्थिति का समय, स्थान एवं तिथि होनी चाहिए।

6. उसमें अपराध की प्रकृति कथित होनी चाहिए।

समन की तामील कैसे की जाए इसके विषय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62 बताती है - प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।

यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समय की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके व्यक्तिक रूप से की जाएगी।

प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 63 में निगमित निकायों और सोसाइटी ऊपर समन की तामील के विषय में बताया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 के अनुसार, जहां सामान किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़ कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो उस व्यक्ति के पास ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 65 के अनुसार, यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में बंधित रूप से शामिल सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के, जिसमें समन जारी किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा ठीक समझें या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 66 के अनुसार, जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उच्च कार्यालय को भेजेगा, जिसमें वह व्यक्ति सेवक हैं और तब वह प्रधान द्वारा धारा 60 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा । और ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 67 के अनुसार, जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 68 के अनुसार, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्यर्पित यह शपथ पत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास छोड़ा गया था प्रस्तावित होना तात्यर्पित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक कि ततप्रतिकूल साबित ना किया जाए, उसमें किए गए कथन सही माने जायेंगे। इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति में संलग्न किया जा सकता है और न्यायालय को भेजा जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 69 के अनुसार, इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निर्देश दे सकता है कि उस समय की प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभीलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्री कृत डाक द्वारा की जाए।

जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्यर्पित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्यर्पित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय या घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है।

वारंट

कतिपय अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है कि किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अतः जब कोई किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार करता है तो उसके पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट होना चाहिए।

वारंट से अभिप्राय - गिरफ्तारी का वारंट एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। वारंट जारी करते समय न्यायालय बड़ी सावधानी बरतता है, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त अथवा प्रतिबंधित करता है।

वारंट के प्रकार - गिरफ़्तारी के वारंट दो प्रकार के होते हैं –

1- जमानतीय वारंट (bailable warrant)

2- अजमानतीय वारंट (non bailable warrant)

जमानतीय वारंट (bailable warrant)- जमानतीय वारंट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निरपेक्ष रूप से आदेश नहीं होता। ऐसा वारंट जारी करने वाला न्यायालय अपनी विवेकानुसार उस वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश देता है कि यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति निश्चित तिथि एवं समय पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तैयार है और इसके लिए वह प्रतिभू सहित बंधपत्र निष्पादित कर देता है तो उस व्यक्ति को बंधपत्र लेकर अभिरक्षा से मुक्त किया जा सकेगा। इस प्रकार जमानतीय वारंट एक विकल्प देता है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति प्रतिभू सहित बंधपत्र निष्पादित कर गिरफ्तारी से मुक्त हो सकता है।

3- **अजमानतीय वारंट (non bailable warrant)-** जमानतीय वारंट से भिन्न अजमानतीय वारंट (non bailable warrant) एक ऐसा वारंट होता है जिसमें प्रतिभू सहित बंधनामे का निष्पादन जैसा कोई विकल्प नहीं होता और ऐसे वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति को अनिवार्यत: गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय उसे जमानत पर मुक्त होने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार अजमानतीय वारंट गिरफ्तारी का एक निरपेक्ष आदेश देने वाला वारंट होता है।

वैध वारंट की अनिवार्यताएं- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 में वैध वारंट की अनिवार्यताओं का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

1- वारंट लिखित होना चाहिए।

2- इसमें वारंट का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का नाम और पद का उल्लेख होना चाहिए।

3- जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसमें उसका नाम और उसका पूरा वर्णन होना चाहिए ।

4- इसमें अभिकथित अपराध का उल्लेख होना चाहिए।

5- वारंट पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

6- वारंट पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए।

7- वारंट के निष्पादन के लिए साधारणतया कोई अवधि नहीं होती है। जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता या जब तक वह न्यायालय द्वारा वापस नहीं मंगा लिया जाता, वारंट चालू रहता है। इसलिए वारंट में लिखी तारीख के बाद ही वारंट की तामील की जा सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 71 के अनुसार, गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करते समय, न्यायालय यदि चाहे तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने के पश्चात छोड़ने का निर्देश भी वारंट में दे सकता है। तब वारंट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है। न्यायालय जमानत पर छोड़ने के लिए वारंट पृष्ठांकन करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :--

1- प्रतिभूओं की संख्या,

2- वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबद्ध होते हैं,

3- वह समय जब न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को उपस्थित होना है।

यदि व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वारंट के साथ जमानत के कागजात भी न्यायालय में भेज दिए जाएंगे।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 72 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।

धारा 73 के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट निम्न प्रकार के व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए अपनी स्थानीय अधिकारिता के अधीन किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट कर सकता है –

- निकल भागा सिद्ध दोष अपराधी,
- उदघोषित अपराधी,
- ऐसा व्यक्ति जो किसी और जमानती अपराध का अभियुक्त हो तथा स्वयं को गिरफ्तारी से बचा रहा हो।

मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से अभिस्वीकृत करेगा और यदि वह व्यक्ति ही जिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, उसके बाहर साधन के अधीन किसी भूमि में या संपत्ति में है या प्रवेश करता है, तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा और व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा ।

जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है तब-

क- उसे वारंट सहित निकटतम पुलिस थाने के हवाले कर दिया जाएगा, और

ख- यदि वह पुलिस अधिकारी धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो उस दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 74 के अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे निर्दिष्ट या पृष्ठांकित है।

संहिता की धारा 75 के अनुसार, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के बारे में का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार(substance) सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 76 के अनुसार, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, उसे न्यायालय के समक्ष लाएगा, जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा।

संहिता की धारा 77 के अनुसार, गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 78 में उस दशा में वारंट के निष्पादन का तरीका बताया गया है जब उसका निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना हो। इस तरह के वारंट को न्यायालय किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक से या किसी अन्य तरीके से उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वारंट निष्पादन किया जाना है। मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त इस प्रकार प्राप्त किए गए वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करके उसका निष्पादन पूर्ववर्ती धाराओं में वर्णित रीति के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

संहिता की धारा 79 के अनुसार, 1- इस धारा के अंतर्गत उस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी को उसकी अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। इस तरह की स्थिति में ऐसा निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी वारंट पर पृष्ठांकन कराने के लिए सामान्यत: उसे उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है, जिसकी

अधिकार ताकि स्थानीय सीमाओं के अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना है। यहां पुलिस अधिकारी को थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति का नहीं होना चाहिए।

2- मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी जब वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित कर देते हैं, तब पृष्ठांकन निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी के लिए निष्पादन का प्राधिकार बन जाता है और स्थानीय पुलिस अपेक्षा किए जाने पर उसकी सहायता करती है। परंतु निर्देश पुलिस अधिकारी विलम्ब के कारण निष्पादन ना हो सकने की स्थिति का आकलन करके पृष्ठांकन कराए बगैर वारंट का निष्पादन कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अनुसार, जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकार ताकि स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, यह धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा।

धारा 81 के अनुसार, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उच्च न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा

परंतु यदि अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक किया आयुक्त का समाधान हो जाएगा वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंध पत्र उच्च न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था

परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 437 के उप बंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उप धारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधि पूर्ण होगा।

इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी।

गिरफ्तारी

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि, " किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं"

जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है परंतु दंड प्रक्रिया संहिता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की नियमावली है जिसमें जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या वारंट सहित गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सामान्यतया कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के जारी किए गए वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, 42, 60 (2), 109, 110, 123(6), 151(1), 432(2) में वह आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, वे आधार निम्न प्रकार हैं-

1. धारा 41 के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है-

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है।

(ख) जिसके विरूद्ध कोई युक्तियुक्त परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी, या 7 वर्ष तक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है।

(ख क) जिसके विरूद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।

(ग) जो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार द्वारा उदघोषित अपराधी हो।

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसको चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है।

(ङ) जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाए या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा से भागा हो ।

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के अभित्याजक होने का उचित संदेह है।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के बाहर कोई अपराध कारित किया हो जो यदि भारत में करता तो दंडनीय अपराध होता।

(ज) छोड़ा गया सिद्धदोष व्यक्ति जिसने संहिता की धारा 356(5) के नियमों का उल्लंघन किया हो।

(झ) ऐसा व्यक्ति जिसे अन्य थाने के पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार करने के लिए अध्यपेक्षा की हो।

(2) धारा 42 के अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में और असंज्ञेय अपराध करता है और ऐसे अधिकारी की मांग पर नाम व पता बताने से इंकार करता है।

(3) धारा 60 (2) के अनुसार, यदि कोई विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है, या छुड़ा लिया जाता है, तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(4) धारा 109 या 110 के प्रवर्गों में से किसी एक के अंतर्गत आता है।

(5) संहिता की धारा 123 (1)के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति प्रतिभू देने में विफल रहने पर सशर्त उनमोचित किया जाता है और यदि ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 123(6) के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है ।

(6) संहिता की धारा 151(1) के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की योजना बना रहे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (3) के अंतर्गत समुचित सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित दंड आदेश सशर्त या बिना शर्त के निलंबन या परिहार के आदेश को निरस्त कर सकती है, वहां किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अनुसार, (1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में और अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी और उदघोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में लिखित निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा।

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है, ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी; किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा।

मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अनुसार,

(1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गद्दार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

गिरफ्तारी कैसे की जाएगी?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अंतर्गत गिरफ्तारी की रीति के बारे में आवश्यक उपबंध किए गए हैं। इस धारा के उपबंधों के अनुसार,

(1) गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तविक रुप से स्पर्श करके या परिरुद्ध करके गिरफ्तारी कार्यान्वित करेगा। लेकिन इस प्रकार की गिरफ्तारी की रीति केवल उस दशा में अपनाई जाएगी जब गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति स्वयं को उसके वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो।

परंतु जहां महिला को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक परिस्थितियां प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसको, सुधारित किया जाएगा और जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा ना करें पुलिस अधिकारी महिला ना हो, पुलिस अधिकारी महिला व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पर्श नहीं करेगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलपूर्वक प्रतिरोध करता है गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है।

(4) केवल असामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और जहां ऐसी असामान्य परिस्थितियों विद्यमान हों, एक महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिस के क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी होनी है, से पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50, 50 क, 55 क, धारा 57, धारा 41घ एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार हैं-

1- धारा 50 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना-

(1) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टयाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी और अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे।

संहिता की धारा 50(1) उपबंध संविधान के अनुच्छेद 22(1) के समान है।

(2) **धारा 50 क - गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि की जानकारी देने की बाध्यता-**

(1) इस संहिता के अधीन प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की बाध्यता होगी कि ऐसी गिरफ्तारी और उसके स्थान जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है, के संबंध में तुरंत गिरफ्तार व्यक्ति के मित्रों, संबंधियों या अन्य ऐसे व्यक्तियों को, जो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए या नाम निर्दिष्ट किए गए हो, को जानकारी करें।

(2) जैसे ही गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को उप धारा 1 के अधीन, उसके अधिकारों के बारे में बताएगा।

(3) ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना देने के तथ्य की प्रविष्टि ऐसी किताब में की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप की पुलिस स्टेशन में रखी गई हो।

(4) जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, उसका यह कर्तव्य होगा, कि वह ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उप धारा 2 और उप धारा 3 की अपेक्षाओं की अनुपालना से अपने आप को संतुष्ट करे।

(3) **धारा 55 क - गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा-** अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्ति युक्त सावधानी रखने का कर्तव्य अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का होगा।

(4) **धारा 57- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना-** कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी।

(5) **धारा 41घ - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार-** जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

<u>प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (First Information Report)</u>

प्रथम रिपोर्ट सूचना से अभिप्राय ऐसी सूचना से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है एवं किसी संज्ञेय अपराध के कार्य किए जाने से संबंधित होती है।

सूचना अभिलिखित करने की रीति- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) यह उपबंधित करती है कि संज्ञेय अपराध की किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन

लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्टि किया जाएगा।

धारा 154(2) के अनुसार, उप धारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निशुल्क दी जाएगी।

धारा 154 के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध की थाने के भारसाधक अधिकारी को लिखित या मौखिक सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट(F.I.R.) है। इत्तिला कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। यह गुमनाम भी हो सकती है। टेलीफोन द्वारा अपराध की सूचना f.i.r. है यदि अपराध का स्पष्ट वर्णन है। मामले के आधार पर प्रथम इत्तिला होती है और चाहे वह सत्य है अथवा मिथ्या।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य 2008 के** बाद में विस्तृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं जो निम्नलिखित हैं-

1- यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट होता है तब धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना विधिक रूप से आदेशात्मक हैं और ऐसे किसी परिस्थिति में कोई भी प्रारंभिक जांच की अनुमति देने योग्य नहीं होगी ।

2- यदि प्राप्त सूचना किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट नहीं करता है बल्कि किसी जांच की आवश्यकता दर्शित करता है तो प्रारंभिक जांच की जा सकती हैं किंतु केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं।

3- यदि जांच से किसी संगे अपराध का पता चलता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच सूचना को बंद कर देने के रूप में समाप्त होता है, ऐसे आशय के प्रविष्टि की एक प्रति तत्काल प्रथम सूचना दाता को दिया जाना चाहिए और ना कि 1 सप्ताह बाद। उसमें जांच बंद करने का और आगे कार्यवाही नहीं करने का संक्षेप में कारण भी दर्शित होना चाहिए।

4- यदि संगे अपराध दर्शित होता है तब पुलिस अधिकारी अपराध को दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। उपेक्षावान अधिकारी जो किसी संज्ञेय अपराध प्रकट करते हुए सूचना को उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद भी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए।

5- प्रारंभिक जांच का विस्तार क्षेत्र प्राप्त सूचना की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्या सूचना किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट करता है।

6- किस प्रकार के और किन मामलों में प्रारंभिक जांच किया जाना चाहिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामलों के कुछ श्रेणी जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है इस प्रकार हैं- **क-** वैवाहिक विवाद/ पारिवारिक विवाद

ख - वाणिज्यिक अपराध **ग -** चिकित्सीय उपेक्षा के मामले **घ -** भ्रष्टाचार के मामले **ङ्ग -** ऐसे मामले जहां दांडिक अभियोजन प्रारंभ किए जाने में अत्यधिक विलंब/ उपेक्षा की गई है।

7- अभियुक्त और परिवादी के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा उनकी संरक्षा करते हुए ऐसे प्रारंभिक जांच एक निश्चित समय सीमा के भीतर कर लिया जाना चाहिए और किसी भी दशा में यह 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

8- चूँकि जनरल डायरी/ स्टेशन डायरी/ डेली डायरी पुलिस स्टेशन में प्राप्त की गई सभी सूचनाओं के अभिलेख हैं, अतः हम निर्देश देते हैं कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी सूचना, चाहे वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के रूप में परिणामित हो या कोई जांच करने की अग्रसरता में, उक्त डायरियो में अवश्य ही प्रत्यावर्तित होनी चाहिए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य

यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट मौलिक साक्ष्य नहीं है क्योंकि यह ना तो किसी तथ्य पर आधारित होती है और ना ही शपथ पर दी जाती है और ना ही इसकी प्रति परीक्षा हो सकती है। इसमें केवल घटना का संक्षिप्त विवरण होता है फिर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य हो सकती है-

1- यह धारा 8 के अंतर्गत आचरण से संबंधित होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत हो सकती है।

2- प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रयोग सूचना दाता को न्यायालय में साक्षी के रूप में हाजिर होने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अधीन सूचना की संपुष्टि के रूप में अथवा धारा 145 के अधीन सूचना दाता की सूचना को खंडित करने के रूप में होता है।

3- जहां ऐसी सूचना दाता की मृत्यु हो चुकी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसे सूचना दाता की मृत्यु से संबंधित है, वहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उप धारा 1 के अधीन सूचना दाता की सूचना मृत्यु काली कथन के रूप में ग्राह्य होगी।

4- विलंब से दर्ज कराई गई प्राथमिकी का साक्ष्यिक मूल्य कम हो जाता है यदि विलंब का कारण स्पष्ट ना हो।

विद्याधर बनाम केरल राज्य के मामले में जहां किसी स्त्री के शीलभंग के मामले में प्राथमिक दर्ज कराने में विलंब का उचित कारण दर्शाया गया हो, तो इसका मामले के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि हत्या के प्रकरण में मृतक व्यक्ति को पहले अस्पताल ले जाया जाना और इसके बाद पुलिस थाने ले जाकर प्राथमिकी दर्ज कराना विलंब के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा।

कर्नाटक राज्य बनाम भास्कर कुशाली कोठारकर के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि साक्ष्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जब अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटनास्थल पर मौजूद हूं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट मूल साक्ष्य नहीं है और इसका केवल सीमित उद्देश्यों के लिए प्रयोग हो सकता है, जैसे- आरोपित अपराध की पुष्टि करना या उसका विरोध करना अथवा यह दिखाना कि अभियुक्त का आशीर्वाद में निर्मित विचार नहीं था अथवा बाद वस्तु(res geste) नहीं था अथवा यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उप धारा 1 के अंतर्गत उचित मामले में नहीं दिया गया था अथवा यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सूचना देने वाले के आचरण का भाग नहीं था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व

यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई ज्ञान कोष (encyclopaedia) नहीं है, किंतु यह घटना का मर्म भूत भाग है क्योंकि वह अपराध घटित होने के तत्काल बाद पंजीकृत होता है और इसमें परिवर्तन या परिवर्धन के अवसर बहुत कम होते हैं निसंदेह प्रथम सूचना रिपोर्ट में विद्यमान नाम मात्र की तृतीय अभियोजन पक्ष के लिए सदैव घातक नहीं माना जा सकता है।